# वनाधिकार जागरूकता शृंखला

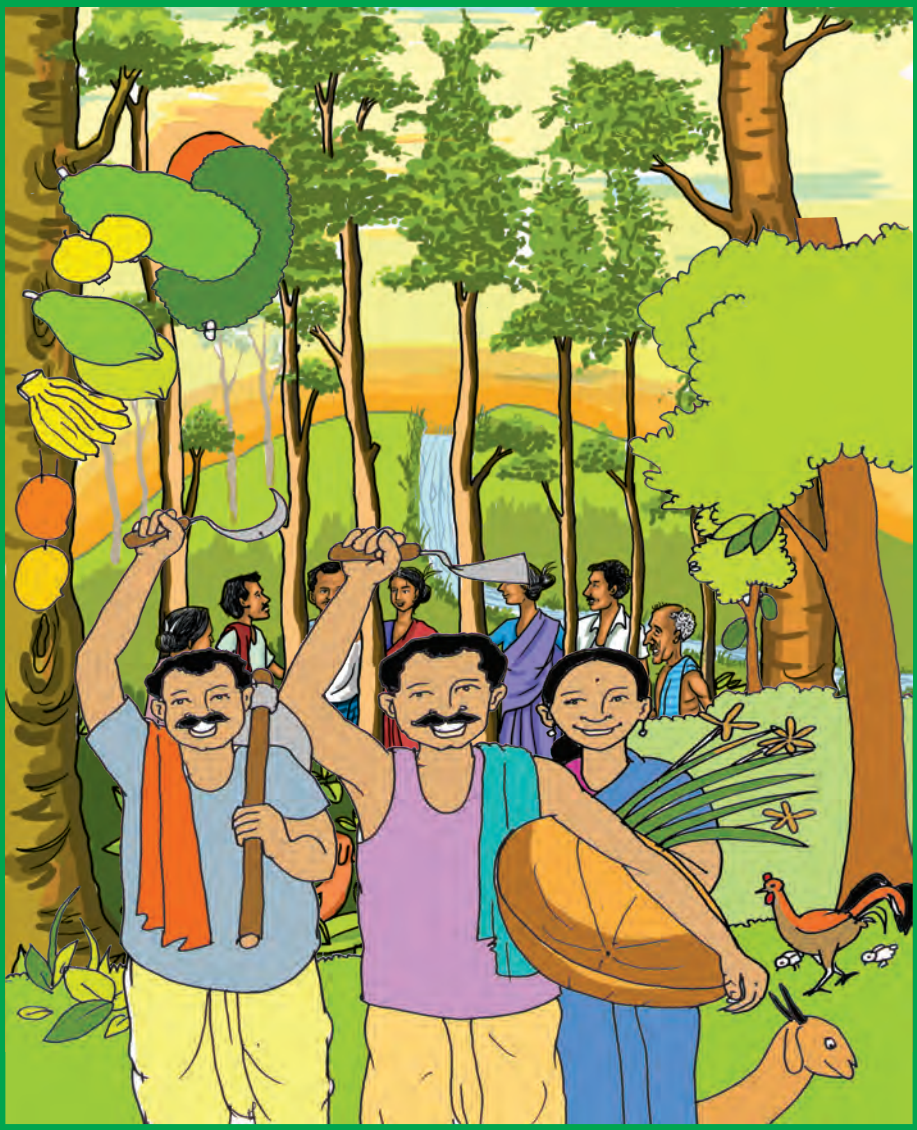

phia
to end poverty

ग्राम स्वशासन अभियान
(आसरा, संवाद, एराउज़, लोक जागृति क्रेंद)

Azim Premji Philanthropic Initiatives

## पुस्तिका के विषय में

ग्राम स्वशासन अभियान के तहत फिया फाउंडेशन द्वारा अजीम प्रेमजी फिलान्थ्रोपिक इनिशियेटिव प्राइवेट लिमिटेड के सहयोग से वन अधिकार जागरूकता शृंखला सामग्री तैयार की जा रही है जिसके उपयोग से आमजन, ग्राम सभा व पंचायतें बेहतर क्रियान्वयन के लिए प्रेरित होंगे। प्रस्तुत पुस्तिका वन अधिकार के बारे में सरल शब्दों में जानकारी उपलब्ध कराने के लिए है।

वन अधिकार कानून–अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वनवासी (वनाधिकार मान्यता) अधिनियम 2006, वनाधिकार कानून के रूप में जाना जाता है, 13 दिसम्बर 2006 को संसद में पारित हुआ और 29 दिसम्बर को राष्ट्रपति की मंजूरी के साथ लागू हुआ। कानून की प्रस्तावना में लिखा है कि आदिवासी व अन्य परम्परागत वनवासियों के बिना वनों की कल्पना नहीं की जा सकती है। वन भूमि व अन्य वनसंसाधनों पर उनके अधिकारों को मान्यता ना देकर ऐतिहासिक अन्याय हुआ है। जिसे दूर करने के लिए वन अधिकार कानून लाया गया है।

## मुख्यः विशेषता :

– कानून व्यक्तिगत व सामुदायिक अधिकारों की मान्यता देता है। अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वनवासी समुदाय अपने निजी व सामुदायिक उपयोग के लिये वन भूमि और वन संसाधनों पर दावा करेगा। दावे की पात्रता व मान्यता देने का अधिकार भी ग्राम सभा को दिया गया है।

– कानून को लागू करने के लिये निम्न समितियों का गठन किया गया हैः

– ग्राम स्तर पर व्यक्तिगत दावे प्राप्त करना व जाँच करना, सामुदायिक दावे तैयार करवाना और दावों को मंजूरी के लिए ग्राम सभा की बैठक बुलाने के लिए वन अधिकार समिति गठित की जाती है।

– वन अधिकार समिति द्वारा दावे अनुमंडलीय स्तरीय समिति को दिये जाते हैं जो जाँच कर या तो संसोधन के लिए भेज सकती है या अंतिम स्वीकृति के लिए जिला स्तरीय समिति के पास भेजती है, जो कि या तो स्वीकृति प्रदान कर अधिकार पत्र जारी करती है या संसोधन के लिए भेज सकती है।

– हर स्तर पर यदि दावे को अस्वीकृत / निरस्त किया जाता है तो कारण सहित दावेदार को सूचित किया जाएगा और अपील करने का समय दिया जाएगा।

– वन अधिकार कानून के क्रियान्वन में ग्राम सभा व समुदाय की अहम भूमिका है, जागरूक समुदाय व सशक्त ग्राम सभा के बिना वनाधिकार कानून को ठीक से क्रियान्वित करना सम्भव नहीं है।

आशा है कि यह पुस्तिका और साथ में दी जा रही अन्य सामग्री जैसे कि पोस्टर इत्यादि आमजन व पंचायत प्रतिनिधियों के लिए बहुत उपयोगी होगी।

**शुभकामनाओं सहित, ग्राम स्वशासन अभियान**

# सभी पारम्परिक अधिकार

सभी पारम्परिक अधिकार जैसे जलावन के लिए लकड़ी, चारागाह, शमशान, गौठान, बाजार, धंधे आदि के लिए वन भूमि का अधिकार।

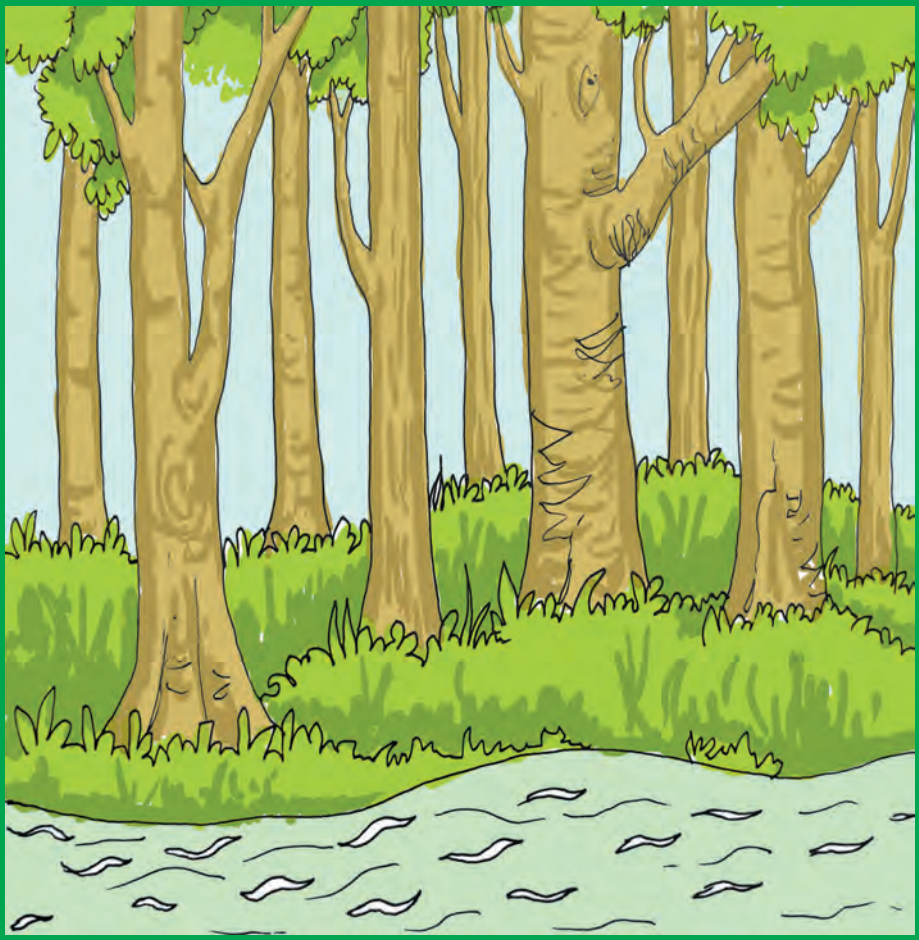

# वन उत्पादों पर अधिकार

लधु वन उत्पाद जैसे बांस, केंदू, महुआ, चार चिरौंजी आदि को इकट्ठा करने, उपयोग एवं बेचने का अधिकार। तालाब जैसे स्रोतों और उसमें पाई जाने वाली मछली एवं चारागाह का अधिकार।

# स्रोतों पर अधिकार

**बिरहोर, कमार, बैगा, पहारी कोरवा और अबुझरिया जैसे जनजाति समुदायों के सामूहिक आवास के अधिकार।**

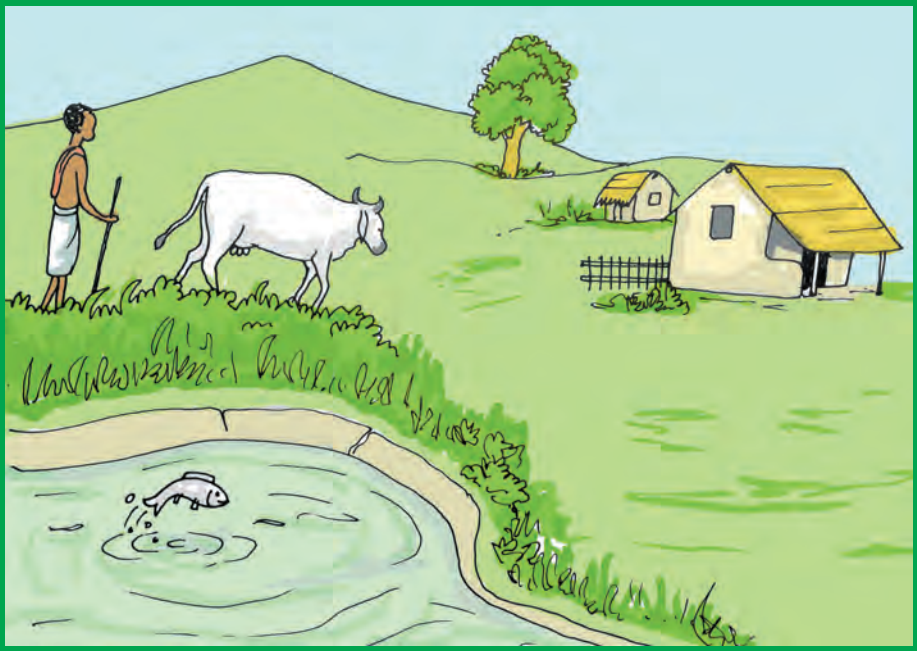

# भूमि पर अधिकार

विवादित भूमि में अधिकार।

वन ग्रामों, पुरानी बस्तियों, असर्वेक्षित ग्रामों को राजस्व ग्रामों में परिवर्तित करने का अधिकार।

# परंपरागत रूप से संसाधनों पर अधिकार

परंपरागत रूप से जंगल से प्राप्त होने वाले संसाधनों जैसे जड़ी–बूटी, जानवर, फूल, पेड़, मिट्टी पानी आदि की सुरक्षा करने, उपयोग करने और देखभाल करने का अधिकार। ऐसे सभी अधिकार जिन्हें राज्य में रहने वाले वनवासी समुदायों के पारंपरिक व रूढ़िगत अधिकारों के रूप में स्वीकार किया गया है।

## पुनर्वास का अधिकार

फिया फाउंडेशन भारत में कार्यरत एक राष्ट्रीय स्तर की स्वयंसेवी संस्था है। जो भारतीय ट्रस्ट अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत है। फिया वर्तमान में पैक्स कार्यक्रम की सीख, सोच व सामाजिक आधार (पूंजी) को आगे बढ़ाने के लिए प्रयासरत है। फिया, अजीम प्रेमजी फिलान्थ्रोपिक इनिशियेटिव प्राइवेट लिमिटेड के सहयोग से स्थानीय स्तर लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिये झारखण्ड के 3 जिलों की 40 ग्राम पंचायतों और 354 गाँवों में ग्राम स्वशासन अभियान के माध्यम से ग्राम सभा और स्थानीय नागरिकों के बीच जागरूकता व क्षमता वर्धन के लिए कार्यक्रम चला रही है।

प्रस्तुत पुस्तिका वनाधिकार विषय पर जागरूकता के लिये तैयार की गई है। आशा है कि यह नागरिकों विशेष तौर पर वंचित समुदाय के लिए उपयोगी सिद्ध होगी।

2446/08/18•KAILASH PAPER•0651-2532251

**ग्राम स्वशासन अभियान**
(आसरा, संवाद, एराउज़, लोक जागृति क्रेंद)